राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2597/2001
महेश चन्द शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 24.08.2000 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ स्केल 3400–90–5200 में दिया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि वह उक्त चयनित वेतनमान का लाभ स्केल 4000–6000 में प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी को गलत रूप से कम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी ने यह तथ्य भी अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति हेल्पर के पद पर दिनांक 06.10.1970 को हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 06.10.1972 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति ड्राइवर के पद पर आदेश दिनांक 18.04.1978 को हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.09.1982 के द्वारा स्थाई घोषित किया गया। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2000 के द्वारा दिनांक 07.10.1999 तक अर्द्धस्थायी की दिनांक से 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने पर चयनित वेतनमान का लाभ श्रृंखला 3400–5200 में स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जब चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के समय अपीलार्थी वेतन श्रृंखला 3050–4590 पर था एवं

राजस्थान सिविल सेवा रिवाईज्ड पे–स्केल नियम 1998 के तहत पे–स्केल 3050–4590 से चयनित वेतनमान का लाभ 4000–6000 में दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु अपीलार्थी को 4000–6000 में चयनित वेतनमान का लाभ न दिया जाकर श्रृंखला 3400–5200 में दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के समान वाहन चालकों को 4000–6000 की श्रृंखला में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया परन्तु अपीलार्थी के सम्बन्ध में गलत आदेश पारित किये गये हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की पदोन्नति का पद भारी वाहन मशीनरी ड्राईवर का है, जिसकी वेतन श्रृंखला 3400–5200 है। इसलिए अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ श्रृंखला 3400–5200 प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को सीधे ही ड्राईवर के पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी, अपीलार्थी पूर्व में हैल्पर–II था। अपीलार्थी को पदोन्नति पर भारी मशीन के ड्राईवर के रूप में ड्राईवर ग्रेड–द्वितीय और ग्रेड–तृतीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। इसलिए उसे भारी मशीन के ड्राईवर वाली वेतन श्रृंखला प्रदान की गयी है।

3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी को जो पदोन्नति आदेश दिनांक 18.04.1978 को दी गई है, वह ड्राईवर ग्रेड–तृतीय के पद पर दी गयी थी। पदोन्नति आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी को भारी वाहन मशीनरी ड्राईवर के पद पर पदोन्नति दी गयी है। अपीलार्थी को केवल ड्राईवर के पद पर पदोन्नति दी गयी है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला ड्राईवर के पद पर 3050–5090 थी एवं राजस्थान सिविल रिवाईज्ड पे–स्केल नियम 1998 के अनुसार वर्तमान पे–स्केल के सम्बन्ध में जो चयनित वेतनमान देय है वह निम्न प्रकार से है :–

> "In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualification prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the selection grades shall be as specified below-

S.No.	Existing pay-scale		Selection Grade	
1.	2550-3200	(1)	2610-3540	(2)
2.	2610-3540	(2)	2650-4000	(3)
3.	2650-4000	(3)	2750-4400	(4)
4.	2750-4400	(4)	3050-4590	(6)
5.	2950-4475	(5)	3200-4900	(7)
6.	3050-4590	(6)	4000-6000	(9)

7.	3200-4900	(7)	4000-6000	(9)	
8.	3400-5200	(8)	5000-8000	(10)	
9.	4000-6000	(9)	5000-8000	(10)	
10.	5000-8000	(10)	(i) 6500-10500	(12)	In those case where next promotion post is in a state Service
			(ii) 5500-9000	(11)	In other cases. "
11.	5500-9000	(11)	6500-10500	(12)	
12.	6500-10500	(12)	8000-13500	(13)	

5. अतः उपरोक्त टेबल से प्रकट होता है कि उपरोक्त कार्मिकों की वर्तमान पे–स्केल 3050–4590 है, उन्हें 4000–6000 की श्रृंखला में चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि अपीलार्थी 4000–6000 की वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी है और अपीलार्थी को 3400–5200 में चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना गलत था।

6. अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 3400–5200 के स्थान पर 4000–6000 की श्रृंखला प्रदान करें। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान करें। अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)